विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–816 / एस0एफ0सी0एम0 सैल, लखनऊ दिनांकित 31.01.2026 के अनुपालन में परिवार न्यायालय, पीलीभीत में दो पद पर परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किये जाने हैं, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 102 / सात–न्याय–2–2015–728 / 86 न्याय अनुभाग–2 अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ दिनांकित 18.06.2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

1. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में से स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो, जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउन्सलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो उसे वरीयता दी जायेगी।
2. आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।
3. परामर्शदाता का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष का होगा।
4. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
5. नियुक्त परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत मु0–1,000 / –रू0 प्रति कार्य दिवस अथवा मु0–24,000 / –रू0 प्रतिमाह जो भी कम हो, का मानदेय देय होगा।

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हों, वे अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति सहित दिनांक 28.02.2026 तक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पीलीभीत में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

Sanjeev 16/03/26

(संजीव कुमार सिन्हा)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, पीलीभीत।

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी (नजारत), जनपद न्यायालय, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, पीलीभीत को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित हो कि वे उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय, पीलीभीत व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Sanjeev 16/03/26

(संजीव कुमार सिन्हा)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, पीलीभीत।

त्रुटिसुधार

(अंतर्गत विज्ञप्ति दिनांकित 16.03.2026)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–816/एस0एफ0सी0एम0 सैल, लखनऊ दिनांकित 31.01.2026 के अनुपालन में परिवार न्यायालय, पीलीभीत में दो पद पर परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के प्रस्तर संख्या–7 में टंकण त्रुटिवश आवेदन जमा करने की दिनांक 28.02.2026 अंकित हो गई है, जिसको दुरूस्त कर दिनांक 26.03.2026 किया जाता है।

अतः उक्त विज्ञप्ति के प्रस्तर संख्या–7 में आवेदन जमा करने की दिनांक 28.02.2026 के स्थान पर दिनांक 26.03.2026 पढ़ा जाये।

Sanjiv 16/03/26

(संजीव कुमार सिन्हा)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, पीलीभीत।

प्रतिलिपिः–

1. प्रभारी अधिकारी (नजारत), जनपद न्यायालय, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त आदेश की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, पीलीभीत को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित हो कि वे उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय, पीलीभीत व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Sanjiv 16/03/26

(संजीव कुमार सिन्हा)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, पीलीभीत।